

आपदा जोखिम न्यूनीकरण



कैलेंडर 2019



श्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार—सह—अध्यक्ष
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण



नव वर्ष की
हार्दिक शुभकामनाएँ



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (53 की धारा 14) के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. 3449/आ०प्र० दिनांक 06.11.2007 के द्वारा हुआ है।
 - माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष तथा मुख्य सचिव पदेन सदस्य सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं।
 - प्राधिकरण में एक उपाध्यक्ष समेत कुल 9 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। वर्तमान में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री व्यास जी, भा०प्र०से० (से.नि.) एवं सदस्य डॉ० उदयकांत मिश्र, भा.अ.से (से.नि.) तथा श्री पारस नाथ राय, भा.पु.से. (से.नि.) नियुक्त एवं कार्यरत हैं।
 - राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उपरोक्त 2005 के अधिनियम के उपबंधों के आलोक में राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां एवं योजनाएं बनाने के लिए उत्तरदायी है।
 - आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अंतर्गत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह राज्य में आपदा प्रबंधन की नीतियों एवं योजनाओं के साथ-साथ निम्न विशिष्ट कार्यों को सम्पादित करें :
 - (क) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन योजना का अनुमोदन करना एवं कार्यान्वयन का समन्वय करना।
 - (ख) राज्य सरकार के विभागों द्वारा तैयार की गयी आपदा प्रबंधन योजनाओं का अनुमोदन करना।
 - (ग) राज्य सरकार के विभागों द्वारा उनकी विकास योजनाओं में आपदाओं की रोकथाम एवं शमन के उपायों को समाहित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना एवं आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
 - (घ) आपदा शमन (Mitigation) और तैयारी उपायों के लिए निधियों की व्यवस्था करने की अनुशंसा राज्य सरकार को करना।
 - (ङ) राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा कर सुनिश्चित करना कि आपदाओं की रोकथाम एवं न्यूनीकरण के उपाय इन योजनाओं में शामिल किये गये हों।
 - (च) राज्य सरकार के विभागों द्वारा आपदा शमन (Mitigation), क्षमतावर्द्धन और तैयारी के लिए किये जा रहे उपायों की समीक्षा करना एवं आवश्यकतानुसार मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 19 के अनुसार प्राधिकरण

राज्य के आपदा प्रभावितों के राहत के लिए विस्तृत मानदंड तय करेगा परंतु यह मानदंड किसी भी दशा में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंड से कम नहीं होना चाहिए।

प्राधिकरण प्रत्येक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये आपदा प्रबंधन योजना का अनुमोदन करेगा।

प्राधिकरण वर्तमान में निर्मांकित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है:

- राज्य के अभियंताओं/वास्तुविदों एवं राजमिस्त्रियों को भूकंपरोधी भवन निर्माण तकनीक पर प्रशिक्षण।
- राज्य के नाविकों एवं नाव मालिकों का सुरक्षित नौका परिचालन पर NINI के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- आदर्श नौका परिचालन नियमावली के अनुसार अधिसूचित सर्वेक्षकों/निबंधकों का प्रशिक्षण।
- बिहार प्रशासनिक सेवा एवं बिहार पुलिस सेवा के सभी पदाधिकारियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रशिक्षण।
- मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षा विभाग के सहयोग से राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार का आयोजन।
- राज्य के सभी पंचायतों के प्रतिनिधियों एवं प्रखण्ड प्रमुख/जिला परिषद अध्यक्षों का बहु-आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधित प्रशिक्षण।
- सड़क सुरक्षा हेतु जन-जागरूकता।
- पशु चिकित्सकों का आपदाओं में पशुओं के प्रबंधन विषयक प्रशिक्षण
- 6–18 आयुवर्ग के बच्चों/ किशोरों को छूबने से बचाने हेतु तैराकी का प्रशिक्षण।
- बिहार टेलीमेट्री नेटवर्क की स्थापना।
- आपदा राहत बचाव विषयक सामुदायिक प्रशिक्षण।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सधन जन जागरूकता कार्यक्रम आदि।



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)



शीतलहर से बचाव

क्या करें, क्या न करें

राज्य में ठंड के मौसम में सामान्यतया दिसम्बर माह के अंतिम सप्ताह से जनवरी माह के तीसरे सप्ताह तक शीतलहर का प्रकोप रहता है। सामान्यतया यदि तापमान 7 डिग्री से 0 अथवा उससे कम हो जाय तो इसे शीतलहर की स्थिति मानी जाती है। शीतलहर से मानव एवं पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।



शीतलहर या ठंड लगाने पर व्यक्ति में निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं:-

1. शरीर का ठंडा होना एवं अंगों का सुन्न पड़ना।
2. अत्यधिक कपकपी या ठिठुरन।
3. बार-बार जी मिचलाना या उल्टी होना।
4. अद्वेहोशी की स्थिति अथवा बेहोश होना।

शीतलहर या ठंड से बचाव के उपाय:-

- ✓ अनावश्यक घर से बाहर न जाएँ और यथासम्भव घर के अंदर सुरक्षित रहें (विशेषकर वृद्ध एवं बच्चे)।
- ✓ यदि घर से बाहर जाना आवश्यक हो तो समुचित ऊनी एवं गर्म कपड़े पहन कर ही निकलें। बाहर निकलते समय अपने सिर, चेहरे, हाथ एवं पैर को भी उपयुक्त गर्म कपड़े से ढक लें।
- ✓ समाचार पत्र/रेडियो/टेलीविज़न के माध्यम से मौसम की जानकारी लेते रहें।
- ✓ शरीर में उष्मा के प्रवाह को बनाये रखने के लिए पौष्टिक आहार एवं गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें।

- ✓ कमरों में जलती हुई लालटेन, दीया एवं कोयले की अंगीठी का प्रयोग करते समय धुंएँ के निकास का उचित प्रबंध करें। प्रयोग के बाद इन्हें अच्छी तरह से बुझा दें।
- ✓ हीटर, ब्लॉअर आदि का प्रयोग करने के बारे स्विच ऑफ करना न भूलें अन्यथा यह जानलेवा हो सकता है।
- ✓ राज्य सरकार द्वारा शीतलहर में सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था का लाभ उठाकर शीतलहर से बचा जा सकता है।
- ✓ राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में बेघरों के लिए रैन-बसरों का प्रबंध किया जाता है, जहाँ कंबल/बिस्तर आदि उपलब्ध रहते हैं। इन सुविधाओं का उपयोग करें।
- ✓ उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह के मरीज तथा हृदय रोगी चिकित्सक की सलाह जरूर लेते रहें तथा सामान्यतया धूप होने पर ही घर से बाहर निकलें।
- ✓ विशेष परिस्थिति में नजदीकी सरकारी अस्पताल से अविलम्ब चिकित्सीय परामर्श लें।
- ✓ पशुओं का बथान गर्म रखने की समुचित व्यवस्था करें। पशुओं को ठंड लगाने पर पशु अस्पताल/पशु चिकित्सक की सलाह लें।



JANUARY जनवरी 2019

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31										

HOLIDAY

13 जनवरी गुरु गोविन्दसिंह जयंती
26 जनवरी गणतंत्र दिवस

सुरक्षित शनिवार :

- प्रथम शनिवार : शीतलहर तूफान से खतरे एवं इसके उपाय के बारे में जानकारी
- द्वितीय शनिवार : रेल / सड़क दुर्घटना से खतरे एवं उपाय के संदर्भ में जानकारी
- तृतीय शनिवार : भूकंप के संदर्भ में कौशल विकास एवं प्रशिक्षण तथा अभ्यास (मॉकड्रिल)
- चतुर्थ शनिवार : बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण तथा बच्चों से छेड़छाड़ के संदर्भ में जानकारी





बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)



भूकम्परोधी भवन का निर्माण

2019 FEBRUARY


लोग भूकम्प से नहीं मरते, कमज़ोर मकानों के ढहने से मरते हैं। भारवाहक दीवार के ऊपर छत रखकर लोग मकान बनाते हैं। ऐसे मकानों के भूकम्परोधी निर्माण हेतु कुछ प्रमुख सुझाव नीचे दिए गये हैं।




ईट जोड़ाई में दीवार के सभी कोनों पर पॉकेट बनाएं, पॉकेट में छड़ खड़ी करें, खड़ी छड़ नीचे से छत तक जाएगी। एक मंजिल मकान में 12 मिमी. की एक छड़, दो या तीन मंजिल मकान में 16 मिमी. की एक छड़ लगाएं।

भारवाहक दीवार वाले भवनों में भूकम्परोधी आर.सी.सी. बैंड एवं खड़ी छड़


दीवारों के जोड़ पर, बैंड में छड़ बाँधने का सही तरीका देखें। भूकम्प जोन V में 5 मीटर तक लम्बे दीवार में 8 मिमी. के 3 छड़ बिछाएँ। चूड़ी अथवा झुमका 150 मिमी. की दूरी पर लगाएँ।



नीचे के चित्रों को ध्यान से देखें और चित्रों के नीचे लिखी बातों को मकान के निर्माण के समय याद रखें।



सभी कमरों के किसी भी दीवार में, $B_1 + B_2 + B_3$ एक मंजिले मकान में, L के 50% से कम दो मंजिले मकान में, L के 42% से कम तीन मंजिले मकान में, L के 33% से कम होना चाहिए B_4 , दो ईट की लम्बाई से ज्यादा रखें। B_5 , एक ईट की लम्बाई से ज्यादा रखें। H , 450 मिलीमीटर से ज्यादा रखें।



FEBRUARY फरवरी 2019

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28											

HOLIDAY

10 फरवरी वसंत पंचमी
19 फरवरी संत रविदास जयंती

सुरक्षित शनिवार :

- प्रथम शनिवार : भूकंप से खतरे एवं बचाव के बारे में जानकारी (मॉकड्रिल)
- द्वितीय शनिवार : कुपोषण से होनेवाली परेशानियाँ एवं उसके समाधान के संदर्भ में जानकारी
- तृतीय शनिवार : विजली से घात, जल जमाव से परेशानियाँ तथा बोरिंग के गहरे से होनेवाली घटनाओं के बारे में जानकारी
- चतुर्थ शनिवार : जल एवं भूमि का संरक्षण, वायु प्रदूषण एवं पेड़-पौधे का संरक्षण के संदर्भ में जानकारी



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)



द्वितीय तल पंत भवन, बेली रोड, पटना – 800001, फोन : +91(612) 2522032, फैक्स : +91(612) 2532311, Visit us : www.bsdma.org e-mail : info@bsdma.org अन्य उपयोगी फोन नंबर, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (SEOC-612-2217301-305) आपदा प्रबंधन विभाग – 0612-2215600



चक्रवाती तूफान/तेज आँधी से घर की सुरक्षा

2019 MARCH


गर्मी के शुरू में, चक्रवाती तूफान/तेज आँधी बिहार में आती रहती हैं। इससे बिहार के पूर्वोत्तर जिले (किशनगंज से मधुबनी) ज्यादा प्रभावित होते हैं। चक्रवाती तूफान एवं तेज आँधी से खड़ी फसल, हल्के छत वाले घर तथा मानव जीवन की क्षति होती है। पूर्वोत्तर जिलों में वर्ष 2010 में 90 लोग एवं 2015 में 39 लोगों की चक्रवाती हवाओं से मृत्यु हुई थी। ऐसे घरों को बचाने के कुछ उपाय नीचे दिए गये हैं।



यदि घर के पास दूर तक खुली जगह हो तो वायु अवरोध के लिए मजबूत वृक्ष लगाएँ।


घरों की छतें चारों तरफ ढाल वाली बनाएँ। छत की ढाल 2 पड़ा : 1 खड़ा रखें।

ओलती पर आर.सी.सी. बैंड बनाएँ। बैंड में जस्ती तारों को जाम करें। जस्ती तारों के साथ कड़ियों को बाँध दें।




छत की कड़ियों को पसरने से रोकने के लिए, कड़ियों के बीच कॉलर टाई बनाएँ।


चोटी बीम को कड़ियों के साथ तथा कड़ियों को पर्लिन/बैटन के साथ जस्ती तारों या लोहे के पत्तर से बाँध दें।




छत की शीट को बाँधने के लिए, बोल्ट का उपयोग करें।



J बोल्ट के बीच की अधिकतम दूरी 450 मि.मी. रखें।



लटके शीट को दीवार से बाँधें



छत के कोनों एवं किनारों पर दो बोल्ट एवं लोहे के पत्तर से बंधन लगाएँ।

MARCH मार्च 2019

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30	31								

HOLIDAY

4 मार्च महाशिवरात्रि
21-22 मार्च होलिका
22 मार्च बिहार दिवस

सुरक्षित शनिवार :

- प्रथम शनिवार : अगलगी से खतरे एवं बचाव के संदर्भ में जानकारी
- द्वितीय शनिवार : चक्रवाती तूफान / आँधी से खतरे एवं इससे बचाव के उपाय के बारे में सावधानी
- तृतीय शनिवार : डायरिया के संबंध में जानकारी या ओ.आर.एस. बनाने से संबंधित कौशल प्रशिक्षण एवं अभ्यास
- चतुर्थ शनिवार : AES/JE से बचाव के बारे में जानकारी
- पंचम शनिवार : स्वच्छता संबंधित जानकारी एवं उसका अभ्यास



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)



सुरक्षित भवन निर्माण संबंधी सावधानियाँ

2019 APRIL

**भूकम्प से नहीं बल्कि कमजोर घरों के गिरने/ढूँढ़ने से लोग हताहत होते हैं।
अतएव सुरक्षित भवन निर्माण हेतु निम्न सावधानियाँ बरतें।**

नींव : भवन का निर्माण सदा ठोस मिट्टी परत पर होना चाहिए।

भवन निर्माण सामग्री : साफ और ताजा हो।



गिर्दी में 20 मिमी. से 6 मिमी. तक सभी साईंज मिला रहना चाहिए।



बालू में मोटे दाने से लेकर महीन दाने तक मिले रहने चाहिए।



पॉलीथीन बिछाकर बालू एवं गिर्दी को उसपर रखें और पॉलीथीन से ढक दें।



ईंटें ठीक से पकी एवं एक ही आकार-प्रकार की होनी चाहिए।



सिमेंट ताजा होना चाहिए।




सिमेंट में पानी मिलाने के एक घंटे के अंदर मसाला का उपयोग कर लेना अनिवार्य है।



ईंट को जोड़ने से पहले, छः घंटे तक साफ पानी में डुबोकर रखें।




जोड़ाई के समय ईंटों के बीच 10 से 12 मि. मी. का गैप रखें। दो ईंटों के बीच पूरा-पूरा मसाला भरें।



125 मिमी. (5 इंच) मोटी दीवार कमजोर होती है, कमजोर दीवार मत बनाएँ।



अगले 10 दिनों तक दीवार को पानी से भिंगोकर रखें।



स्टील छड़ों को कंक्रीट के अंदर छुपाने के लिए, छड़ों के नीचे कवर ब्लौक एवं चेयर लगाएँ।



मिक्सर मशीन से कंक्रीट बनाएँ। सिमेंट के एक बैग में 25-30 लिटर पानी को मिलाएँ। सिमेंट:बालू:गिर्दी का अनुपात 1:1.5:3 रखें।



कंक्रीट की ढ़लाई को भाइब्रेटर या 16 मिमी. कीछड़ से सघन करें। ढ़लाई किए कंक्रीट को 10 दिनों तक पानी से लगातार भिंगोकर रखें।



APRIL अप्रैल 2019

2019

HOLIDAY

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30												

12 अप्रैल समाट अशोक अष्टमी

13 अप्रैल रामनवमी

14 अप्रैल भीमराव अंबेदकर जयन्ती

17 अप्रैल महावीर जयन्ती

19 अप्रैल गुड़ फ़ाइड

सुरक्षित शनिवार :

प्रथम शनिवार : फोकल शिक्षक एवं वाल प्रेरकों का चयन

द्वितीय शनिवार : विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन / पुर्नगठन

तृतीय शनिवार : हजार्ड हंट

चतुर्थ शनिवार : अगलगी से खतरे एवं बचाव के बारे में जानकारी




**बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY**
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)



अगलगी से बचाव

2019 MAY



क्या करें

- ✓ रसोई घर यदि फूस का हो तो उसकी दीवाल पर मिट्टी का लेप अवश्य कर दें तथा रसोई घर की छत ऊँची रखी जाये।
- ✓ आग बुझाने के लिए घर में बोरे में भरकर बालू अथवा मिट्टी तथा दो बाल्टी पानी अवश्य रखें।
- ✓ हवन आदि का काम सुबह 9 बजे से पहले सम्पन्न कर लें।
- ✓ शार्ट सर्किट की आग से बचने के लिए बिजली वायरिंग की समय पर मरम्मत करा लें।
- ✓ मवेशियों को आग से बचाने के लिए मवेशी घर के पास पर्याप्त मात्रा में पानी का इंतजाम रखें एवं उनकी निगरानी अवश्य करते रहें।
- ✓ पटाखे जलाते समय पानी की बाल्टी तथा रेत की पर्याप्त व्यवस्था रखें।
- ✓ जहाँ पर सामूहिक भोजन बनाने इत्यादि का कार्य हो रहा हो, वहाँ पर दो से तीन ड्रम पानी अवश्य रखें।
- ✓ जहाँ तक संभव हो गर्मियों में दिन का खाना 9 बजे सुबह से पूर्व बना लें तथा रात का खाना शाम 6 बजे के बाद बनाएँ।
- ✓ ग्रामीण क्षेत्रों में हरा गेहूँ, खेसारी, छिमी भी बच्चे भुनते हैं। ऐसे में आग लगने से बचने के लिए उनपर निगरानी रखें।
- ✓ आग लगने पर सर्वप्रथम समुदाय के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास करें।
- ✓ अगर कपड़ों में आग लगे तो उन्हें जमीन पर लेटकर/लुढ़क कर बुझाने का प्रयास करें।
- ✓ बिजली के लूज तारों से निकली चिनगारी भी आग लगने का कारण बन जाती है। अतएव जहाँ कहीं लूज तार दिखे उसकी सूचना बिना देर किये ऊर्जा विभाग/संबंधित बिजली कंपनी के अभियंताओं को दें।

क्या न करें

- ✗ दीपक (दीया), लालटेन, मोमबत्ती को ऐसी जगहों पर न रखें जहाँ से गिरकर आग लगने की संभावना हो।
- ✗ कटनी के बाद खेत में छोड़े डंठलों में आग नहीं लगायें।
- ✗ घर में किसी भी उत्सव के लिए लगाये कनात अथवा टेन्ट के नीचे से बिजली के तार को न ले जायें।
- ✗ भोजन बनाने का कार्य तेज हवा के समय नहीं करें।
- ✗ जलती हुई माचिस की तीली अथवा अधजली बीड़ी एवं सिगरेट पीकर इधर-उधर ना फेकें।
- ✗ खाना बनाते समय ढीले और पॉलिस्टर के कपड़े पहनकर खाना ना बनायें। हमेशा सूती कपड़ा पहन कर ही खाना बनायें।
- ✗ सार्वजनिक स्थलों, ट्रेनों एवं बसों आदि में ज्वलनशील पदार्थ लेकर न चलें।



MAY मई 2019

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31									

HOLIDAY

13 मई जानकी नवमी
18 मई बुद्ध पुर्णिमा

सुरक्षित शनिवार :

- प्रथम शनिवार : विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का सूत्रण
- द्वितीय शनिवार : विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का सूत्रण
- तृतीय शनिवार : बजपात (ठनका) एवं चक्रवाती तूफान /आँधी से खतरे एवं इसके उपाय के बारे में जानकारी
- चतुर्थ शनिवार : अगलगी, लू से खतरे एवं बचाव के संदर्भ में जानकारी



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)



लू/गर्म हवाएँ से बचाव

हमारे राज्य में गर्मी के महीनों में गर्म हवाएँ ऐसे लू चलती हैं जिनका प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है जो कभी—कभी तो जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस संबंध में नीचे दिये गये उपायों का पालन कर के गर्म हवाओं/लू के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है।

2019 JUNE



गर्म हवाएँ/लू से सुरक्षा के उपाय

- ✓ जितनी बार हो सके पानी पीयें, बार—बार पानी पीयें। सफर में अपने साथ पीने का पानी हमेशा रखें।
- ✓ जब भी बाहर धूप में जायें यथा संभव हल्के रंग के, ढीले—ढाले ऐसे लू के बहुत अधिक शारीरिक श्रम न करें। गमछे या टोपी से अपने सिर को ढकेव हमेशा जूता या चप्पल पहनें।
- ✓ हल्का भोजन करें, अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल जैसे—तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, संतरा आदि का अधिकाधिक का सेवन करें।
- ✓ घर में बने पेय पदार्थ जैसे लस्सी, नमक—चीनी का घोल, छाँच, नींबू—पानी, आम का पन्ना इत्यादि का नियमित सेवन करें।
- ✓ अपने दैनिक भोजन में कच्चा प्याज, सत्तू, पुदीना, सौंफ तथा खस को भी शामिल करें।
- ✓ जानवरों को छाँच में रखें ऐसे उन्हें भी खूब पानी पीने को दें।
- ✓ रात में घर में ताजी और ठंडी हवा आने की व्यवस्था रखें।
- ✓ रथानीय मौसम के पूर्वानुमान और आगामी तापमान में परिवर्तन के बारे में विभिन्न विश्वसनीय सूत्रों से लगातार जानकारियां लेते रहें।
- ✓ अगर तबीयत ठीक न लगे या चक्कर आये तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

लू लगाने पर क्या करें

- ✓ लू लगे व्यक्ति को छाँच में लिटा दें अगर उनके शरीर पर तंग कपड़े हो तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें।
- ✓ लू लगे व्यक्ति का शरीर ठंडे गीले कपड़े से शरीर पोछें या ठंडे पानी से नहलायें।
- ✓ उसके शरीर के तापमान को कम करने के लिए कूलर, पंखे आदि का प्रयोग करें।
- ✓ उसके गर्दन, पेट एवं सिर पर बार—बार गीला तथा ठंडा कपड़ा रखें।
- ✓ उस व्यक्ति को ओ0 आर0 एस0/नींबू—पानी नमक चीनी का घोल, छाँच या शर्बत पीने को दें, जो शरीर में जल की मात्रा को बढ़ा सके।
- ✓ लू लगे व्यक्ति की हालत में एक घंटे तक सुधार न हो तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में ले जाये।

क्या न करें

- ✗ जहाँ तक संभव हो कड़ी धूप में बाहर न निकलें।
- ✗ अधिक तापमान में बहुत अधिक शारीरिक श्रम न करें।
- ✗ चाय, काफी जैसे— गर्म पेय तथा जर्दा तंबाकू आदि मादक पदार्थों का सेवन करें अथवा न करें।
- ✗ ज्यादा प्रोटीन वाले भोजन जैसे— मांस, अंडा व सूखे मेवे जो शारीरिक ताप को बढ़ाते हैं, का सेवन करें अथवा न करें।
- ✗ यदि व्यक्ति गर्मी या लू के कारण पानी की उल्टियां करें या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने—पीने को न दें।
- ✗ बच्चों को बंद वाहनों में अकेला न छोड़ें।



JUNE जून 2019

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
						1	2	3	4	5	6	7	8
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30							

HOLIDAY

5 जून ईद-उल-फित्र
17 जून कबीर जयन्ती

सुरक्षित शनिवार :

- | | |
|----------------|---|
| प्रथम शनिवार | : अपने गाँव के बच्चों के साथ गाँव /टोले / मोहल्ले का बाल सुरक्षा समिति के मदद से हजार्ड हंट |
| द्वितीय शनिवार | : अवकाश के दौरान हजार्ड हंट एवं अगलागी से बचाव का अभ्यास |
| तृतीय शनिवार | : अवकाश के दौरान हजार्ड हंट एवं लू / गरम हवा, बजपात से बचाव का अभ्यास |
| चतुर्थ शनिवार | : अवकाश के दौरान अपने गाँव के बच्चों के साथ गाँव/टोले का हजार्ड हंट एवं आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण |
| पंचम शनिवार | : स्वच्छता संबंधित जानकारी एवं उसका अभ्यास |



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

द्वितीय तल पंत भवन, बेली रोड, पटना – 800001, फोन : +91(612) 2522032, फैक्स : +91(612) 2532311, Visit us : www.bsdma.org e-mail : info@bsdma.org अन्य उपयोगी फोन नंबर, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (SEOC-612-2217301-305) आपदा प्रबंधन विभाग– 0612-2215600



वज्रपात से बचाव

2019 JULY

आसमान में गहरे काले, ऊँचे, बिजली चमकाने एवं गर्जना करने वाले बादल दिखें तो सावधान हो जाइये। अगर ऐसे बादल आपके करीब हैं और आप खुले में हैं तो तुरंत किसी भवन में चले जायें। बिजली की चमक एवं उसके बाद की गर्जना के अन्तराल को मापकर वज्रपात की आपसे दूरी का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे अन्तराल यदि 30 सेकेण्ड है तो दूरी 30 सेकेण्ड होगी।

क्या करें,

- यदि आप खुले में हों तो शीघ्रातिशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें।
- सफर के दौरान अपने वाहन में ही बने रहें।
- खिड़कियाँ, दरवाजे, बरामदे एवं छत से दूर रहें।
- ऐसी वस्तुएँ, जो बिजली की सुचालक हैं, उनसे दूर रहें।
- बिजली के उपकरणों या तार के साथ संपर्क से बचें व बिजली के उपकरणों को बिजली के संपर्क से हटा दें।
- तालाब और जलाशयों से भी दूरी बनायें रखें।
- समूह में न खड़े हों, बल्कि अलग—अलग खड़े रहें।
- यदि आप जंगल में हो तो बौने एवं घने पेड़ों के शरण में चले जायें।
- बाहर रहने पर धातु से बनी वस्तुओं का उपयोग न करें। बाइक, बिजली या टेलीफोन का खंभा, तार की बाढ़, मशीन आदि से दूर रहें।
- धातु से बने कृषि यंत्र— डंडा आदि से अपने को दूर कर दें।
- आसमानी बिजली के झटके से घायल होने पर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल नजदीकी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र ले जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- स्थानीय रेडियो अन्य संचार साधनों से मौसम की जानकारी प्राप्त करते रहें।
- यह सुनिश्चित कर लें कि पीड़ित की नाड़ी एवं श्वास चल रही हो।
- यदि आप खेत खलिहान में काम कर रहे हों और किसी सुरक्षित स्थान की शरण न ले पायें हों तो –
 - (क) जहां हैं वहीं रहें, हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे—लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें।
 - (ख) दोनों पैरों को आपस में सटा लें एवं दोनों हाथों को घुटनों पर रख कर अपने सिर को जमीन के तरफ यथा संभव झुका लें तथा सिर को जमीन से न सटाएं।
 - (ग) जमीन पर कदापि न लेटें।

क्या न करें

- ❖ ऊँचे इमारत वाले क्षेत्रों में शरण नहीं लें।
- ❖ साथ ही बिजली एवं टेलीफोन के खंभों के नीचे कदापि शरण नहीं लें, क्योंकि ऊँचे वृक्ष, ऊँची इमारतें एवं टेलीफोन/बिजली के खंभे आसमानी बिजली को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
- ❖ पैदल जा रहे हों तो धातु की डंडी वाले छातों का उपयोग न करें।
- ❖ यदि घर में हों तो पानी का नल, फिज, टेलीफोन आदि को न छूएं।
- ✓ ठनका के मामलें में मृत्यु का तात्कालिक कारण हृदयाधात है। अगर जरूरी हो तो “संजीवन क्रिया, प्राथमिक चिकित्सा” (Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) प्रारंभ कर दें।
- ✓ “संजीवन क्रिया, प्राथमिक चिकित्सा” (Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रभावित व्यक्ति के शरीर से विद्युत का प्रभाव न हो रहा हो।



JULY जुलाई 2019

HOLIDAY

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31											

सुरक्षित शनिवार :

- | | |
|----------------|---|
| प्रथम शनिवार | : हाथ धुलाई, व्यक्तिगत स्वच्छता, आसपास की साफ— सफाई, कचरा प्रबंधन की जानकारी एवं अभ्यास |
| द्वितीय शनिवार | : भूकम्प के संदर्भमें कौशल विकास, मॉकड्रिल तथा अभ्यास |
| तृतीय शनिवार | : वज्रपात से बचाव की जानकारी |
| चतुर्थ शनिवार | : बाढ़ से बचाव हेतु कौशल विकास एवं प्रशिक्षण तथा अभ्यास (मॉकड्रिल) |



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)



बाढ़-सुरक्षा

2019 AUGUST



क्या करें

- ◆ अगर आपका घर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हो तो मकान मजबूती से सीमेंट आदि से बनवाएं। बाढ़ से मिट्टी के घर सबसे जल्दी ढह जाते हैं।
- ◆ घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो।
- ▲ आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें एक छोटी रेडियो, टॉर्च, बैटरी, मजबूत रस्सी, माचिस, मोमबत्ती, पानी, सूखा भोजन, खाद्य सामग्री आदि हों।
- ▲ पालीथीन बैग या वाटरप्रूफ बैग आदि रखें जिसमें कपड़े, महंगे सामान, छाता, चीनी, नमक, और लकड़ी (सांप वगैरह भगाने के लिए)
- ▲ मजबूत रस्सी एवं एक लम्बी लकड़ी अपने पास हमेशा रखें।
- ◆ चेतावनी व सुझाव के लिए रेडियो सुने या टी वी देखें और स्थानीय अधिकारियों की चेतावनियों पर ध्यान रखें।
- ◆ अफवाह पर ध्यान न दें और न ही घबराएँ।
- ◆ बाढ़ से पहले बैलगाड़ी, कृषि उपयुक्त समान और पालतू जानवरों को ऊँची सुरक्षित जगह पर ले जाएं।
- ◆ बाढ़ के दौरान खाना ढंक कर रखें। हल्का भोजन करें एवं उबला हुआ पानी

पिएं।

- ◆ चाय, चावल का पानी, नारियल पानी आदि का दस्त के समय सेवन करें और ORS व अन्य उपचार के लिए अपने नजदीकी स्वारथ्य केन्द्र को संपर्क करें।
- ◆ बाढ़ पीड़ितों के राहत सामग्री बांटने में मदद करें।
- ◆ सबसे पहले गर्म कपड़े, जरूरी दवाएँ, कीमती वस्तुएँ, निजी कागज आदि को वॉटर प्रूफ बैग में डाल कर उन्हें आपातकालीन बॉक्स में अपने साथ रख लें।
- ◆ नल के पानी को उबालकर तब तक पीयें जब तक कि संबंधित विभाग द्वारा हैलोजेन की गोलियां पानी में डालने के लिए उपलब्ध न करा दी गई हों।
- ◆ सांपों एवं अन्य जहरीले जन्तुओं से बचकर रहें।
- ◆ बच्चों को बाढ़ के पानी के पास खेलने से रोके।

क्या न करें

- ◆ अगर पानी की गहराई की जानकारी न हो तो उसे कभी भी पार करने की कोशिश न करें।
- ◆ ऐसे किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन न करें जो कि बाढ़ के पानी से प्रभावित हुआ हो।

AUGUST अगस्त 2019

HOLIDAY

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31								

12 अगस्त बकरीद
15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस
23 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी

सुरक्षित शनिवार :

प्रथम शनिवार	पेयजल की अशुद्धता से होने वाले खतरे एवं इसके उपाय के बारे में जानकारी
द्वितीय शनिवार	बाढ़ से खतरे एवं बचाव के उपाय, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण तथा अभ्यास (मॉक्ड्रिल)
तृतीय शनिवार	सांप-बिचू एवं अन्य विषेले जीव-जन्तुओं के काटने से होनेवाली परेशानियाँ एवं समाधान के संदर्भ में जानकारी
चतुर्थ शनिवार	नाव दुर्घटना एवं पानी में डूबने से बचाव के संदर्भ में जानकारी
पंचम शनिवार	स्वच्छता संबंधित जानकारी एवं उसका अभ्यास



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)



झूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम

2019 SEPTEMBER

वर्षा ऋतु में उफनायी नदियों/तालाबों में स्नान करने, कपड़ा एवं बर्टन धोने जैसे रोजाना के काम के दौरान किशोर/किशोरियों की मृत्यु झूबने के कारण हो जाती है। कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं, यह स्थिति संबंधित परिवारों के लिए ग्रासद है। इन बहुमूल्य जिन्दगियों को बचाने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें:-

क्या न करें:-

- खतरनाक घाटों के किनारों पर न जायें और न ही बच्चों को जाने दें।



क्या करें:-

- बच्चों को नदी/तालाबों/तेज पानी के बहाव में स्नान करने से रोकें।
- बच्चों को पुल/पुलिया/उंचे टीलों से पानी में कूद कर पानी में स्नान करने से रोकें।
- नदी में उत्तरते समय गहराई का ध्यान रखें।
- झूबते व्यक्ति को धोती, साढ़ी, रस्सी या बांस की सहायता से बचायें। यदि तैरना नहीं जानते हों तो स्वयं पानी में न जायें और सहायता के लिए शोर मचायें।
- गांव/टोले में झूबने की घटना होने पर आस-पास के लोग आपस में एकत्रित होकर ऐसी दुःखद घटना की चर्चा अवश्य करें और भविष्य के सुरक्षा उपायों पर चर्चा करें।

झूबे हुए व्यक्ति को पानी से निकालकर तत्काल प्राथमिक उपचार निम्न प्रकार करें:-

- सबसे पहले देख लें, यदि झूबे हुए व्यक्ति के मुँह व नाक में कुछ फंसा हो तो निकाल दें।
- नाक और मुँह पर उँगलियों के रूपर्श से जांच कर लें कि झूबे हुए व्यक्ति की सांस चल रही है कि नहीं।
- नब्ज की जांच करने के लिए गले में किनारे के हिस्सों में उँगलियों से छूकर जानकारी प्राप्त करें कि नस चल रही है कि नहीं।
- नब्ज व सांस का पता नहीं चलने पर झूबे व्यक्ति के मुँह से मुँह लगाकर

दो बार भरपूर सांस दें व 30 बार छाती के बीच में दबाव दें तथा इस विधि को 3-4 बार दुहरायें। ऐसा करने से धड़कन वापस आ सकती है व सांस चलना शुरू हो सकती है।

- प्रभावित व्यक्ति खांसने/बोलने/सांस ले सकने की स्थिति में हैं तो उसे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- यदि प्रभावित व्यक्ति का पेट फूला हुआ है तो पूरी संभावना है कि उसने पानी पी लिया होगा, अतः पेट से पानी निकालने की प्रक्रिया शुरू करें।
- उपरोक्त प्रक्रिया के बाद बचाये गये व्यक्ति को नजदीकी डॉक्टर अथवा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर ले जायें।
- डॉक्टर या प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर ले जाने के लिए स्थानीय स्तर पर जो भी साधन उपलब्ध हो उसका प्रयोग करें या 108/102 पर फोन कर एम्बुलेंस बुला लें।
- झूबे हुए व्यक्ति को पेट के बल सुलाएँ तथा पेट के नीचे तकिया या छोटा जैसा बर्टन जो भी उपलब्ध हो उसे लगा दें। इसके बाद पीठ के निचले हिस्से पर धीरे-धीरे दबाकर पानी बाहर निकालें।
- झूबे हुए व्यक्ति को पुनः उठाकर पीठ के सहारे सुलाएँ तथा आराम करने दें।
- मूर्छा या बेहोशी आने पर पुनः साँस देने व छाती में दबाव देने की प्रक्रिया शुरू करें।
- उपरोक्त प्रक्रिया के बाद बचाए गये व्यक्ति को अविलम्ब नजदीकी डॉक्टर अथवा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर ले जाएँ।



SEPTEMBER सितम्बर 2019

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
						1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30						

HOLIDAY

10 सितम्बर मुहर्दम

सुरक्षित शनिवार :

- | | |
|----------------|---|
| प्रथम शनिवार | : डायरिया के संबंध में जानकारी तथा ओ. आर.एस. बनाने से संबंधित कौशल प्रशिक्षण एवं अभ्यास |
| द्वितीय शनिवार | : रेल / सड़क दुर्घटना से बचाव के संदर्भ में जानकारी |
| तृतीय शनिवार | : भूकंप से खतरे एवं बचाव के बारे में जानकारी (मॉकड्रिल) |
| चतुर्थ शनिवार | : बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण तथा बच्चों से छेड़छाड़ के संदर्भ में जानकारी |



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)



नाव दुर्घटना से बचाव

क्या करें, क्या न करें

2019 OCTOBER



नाव की सवारी करने वाले कृपया ध्यान दें

- जिस नाव पर पंजीकरण संख्या अंकित हो उसी नाव से यात्रा करें।
- जिस नाव पर लदान क्षमता दर्शाते हुए सफेद पट्टी का निशान लगी हो उसी नाव से यात्रा करें।
- किसी भी स्थिति में ओवरलोड नाव पर न बैठें।
- नाव चलने से पहले देख लें कि लदान क्षमता दर्शाने वाला सफेद पट्टी का निशान डूबा तो नहीं है। अगर डूबा है तो तुरंत उतर जाएं।
- जब बारिश हो रही हो तो नाव की यात्रा न करें।
- छोटे बच्चों को अकेले नाव की यात्रा न करने दें।
- जिस नाव जानवर ढोये जा रहे हों तो उसमें यात्रा न करें।
- जर्जर/टूटी-फूटी नाव पर सवारी न करें। यह जानलेवा हो सकता है।
- जिस नाव पर जीवन रक्षा के लिए लाईफ जैकेट, लाईफ बॉय के साथ प्राथमिक उपचार बॉक्स एवं रस्से आदि ठीक तरीके से रखे हो उसी नाव से यात्रा करें।
- नाव में यात्रा के दौरान शांत बैठे व उत्तरते-चढ़ते समय क्रम से ही नाविक के निर्देशानुसार उतरें व चढ़ें।
- सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद नाव की यात्रा न करें। यह खतरनाक हो सकती है।
- नाव यात्रा के दौरान किसी तरह की जल्दीबाजी न दिखाएँ और नाविक के उपर किसी तरह का दबाव न डालें।

नाविक या नाव मालिक कृपया ध्यान दें

- जब तेज हवा / खराब मौसम / आँधी / बारिश हो रही हो तो नाव का संचालन न करें।
- जिस नाव पर 15 से 30 लोगों तक सवारी बैठती हो तो उस नाव पर 2 नाविक होना अनिवार्य है तथा 30 से ऊपर बैठाने वाली बड़ी नाव पर 3 नाविकों का होना अनिवार्य है।
- बीमार व्यक्तियों / गर्भवती माता को नाव पर चढ़ाने में प्राथमिकता दें।
- किसी यात्री को किसी भी दशा में नाव संचालन न दें।
- नाव पर किसी तरह का नशा सेवन करने से यात्रियों को रोकें।

- जिस नाव पर जानवर ढोये जा रहे हों तो उस नाव में जानवर के मालिक के अलावा अन्य सवारी न बैठायें।
- किसी भी तरह की नाव, चाहे उस पर सवारी ढोयी जा रही हो अथवा जानवर या सामान, सभी नाव पर लदान क्षमता का निशान लगाना अनिवार्य है।
- नाव पर ऐसा कोई भी सामान या खतरनाक सामग्री, साँप आदि नहीं ढोया जाएगा जिससे अन्य यात्रियों को किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न होता हो।
- नाव से पानी निकालने / उलीचने के लिए नाव में आवश्यक बर्तन रखें।
- रात में नाव का परिचालन न करें। यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त कर विशेष रोशनी के साथ करें।
- मानसून अवधि में सूर्योदय के पूर्व एवं 5:30 बजे शाम के बाद नाव का परिचालन न करें।

जिला प्रशासन कृपया ध्यान दें

- बिना निबंधन के कोई भी नाव चाहे वह किसी भी उद्देश्य (व्यक्तिगत / संस्थागत) के लिए प्रयोग की जा रही हो, उसका परिचालन गैर कानूनी है। बगैर निबंधन के नाव का परिचालन नहीं होने दें।
- नावों में अलग से डीजल इंजन / मशीन बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति के नहीं लगाया जा सकता है। इसे सुनिश्चित किया जाए।
- घाटों पर प्रशिक्षित तैराकों, गोताखोरों एवं नजदीकी पुलिस थाना एवं जिला प्रशासन के प्रमुख पदाधिकारी का फोन नंबर अवश्य प्रदर्शित कराया जाए।
- सुनिश्चित किया जाए कि नावों पर लदान क्षमता के तथा सफेद पट्टी का निशान हर हाल में अंकित रहे ताकि यात्री समझ सकें कि नाव में कितने लोगों के बैठने की क्षमता है।
- नाव संचालन के संबंध में बिहार सरकार के बंगल नौ-घाट अधिनियम, 1885 के अधीन आदर्श नियमावली, 2011 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
- मॉनसून अवधि में सूर्योदय के पूर्व एवं 5:30 बजे शाम के बाद नाव के परिचालन पर रोक लगा दी जाए।
- नजदीकी पुलिस थाना, गोताखोरी एवं प्रशिक्षित का नंबर घाटों पर अवश्य अंकित कराया जाए।



OCTOBER अप्रूव 2019

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31										

HOLIDAY

- 2 अक्टूबर गाँधी जयन्ति
7 अक्टूबर महानवमी
8 अक्टूबर विजयादशमी
20 अक्टूबर चेहल्लुम
27 अक्टूबर दीपावली
29 अक्टूबर विश्राम पूजा

सुरक्षित शनिवार :

- प्रथम शनिवार : दशहरा / छठ / मुहर्म आदि पर्वों में भीड़ एवं भगदड़ संबंधी जोखिम एवं बचाव (प्राथमिक उपचार, सी.पी.आर. सहित)
- द्वितीय शनिवार : नाव दुर्घटना एवं पानी में डूबने से बचाव के संदर्भ में जानकारी
- तृतीय शनिवार : दीवाली के पटाखों एवं प्रदूषण से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी जोखिम एवं बचाव के संदर्भ में जानकारी
- चतुर्थ शनिवार : सड़क दुर्घटना से बचाव के संदर्भ में जानकारी


बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)



वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं बचाव

2019

NOVEMBER



क्या करें

- घरेलु उपयोग हेतु यथासंभव निर्धूम चूल्हा, सोलर कूकर, एल0पी0जी0 या बिजली से चलने वाले उपकरणों का उपयोग करें।
- अपने वाहनों की ट्यूनिंग सही रखें ताकि वाहन उत्सर्जन से प्रदूषण की समस्या न हो। अपनी कार से निकलने वाली गैस का प्रदूषण स्तर हर तीन महीने के अंतराल पर जाँच करवायें और उसे सही रखें।
- निजी वाहनों के उपयोग के बदले वाहन पूलिंग/सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें।
- डीजल एवं पेट्रोल चालित टेम्पू के स्थान पर ई.-रिक्षा की सवारी को प्रोत्साहित करें।
- अधिक से अधिक साईकिल का इस्तेमाल करें।
- बेवजह हार्न न बजाएँ।
- नगरीय क्षेत्र के सड़कों की सफाई पानी छिड़काव से किया जाए।
- सड़कों, पुलों आदि के निर्माण अथवा मरम्मति के दौरान पानी का नियमित छिड़काव सुनिश्चित किया जाय।
- औद्योगिक इकाई अपने उत्सर्जन को मानक के अनुकूल बनाए रखें।
- वृक्षारोपण को बढ़ावा दें एवं अपने घरों के आस-पास पेढ़-पौधों की देखभाल ठीक से करें।

- जिस कमरे में कूलर, पंखा या एयरकंडिशनर जरूरी हो, वहीं चलायें बाकी जगह बंद रखें।
- बाहर के मुकाबले घरों में प्रदूषण का प्रभाव कम होता है इसलिए जब वातावरण में प्रदूषण अधिक हो तो घरों के अंदर चले जाएँ।
- वायु प्रदूषण से होने वाली हानियों के प्रति आमजनों को सचेत करने हेतु प्रचार माध्यम जैसे दूरदर्शन, रेडियो, पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना चाहिए।

क्या न करें

- जीवाश्म ईधनों यथा—कोयला, गोबर को अंगीठी में उपयोग न करें।
- ठोस कचरों, टॉयर, जैविक अपशिष्ट, बागवानी से जनित अपशिष्ट आदि को खुले में न जलाएँ।
- निर्माण सामग्री यथा—बालू, गिर्धा, मिर्धा का परिवहन ढक कर किया जाए तथा इनका आम सड़क पर भंडारण नहीं किया जाय।
- जब जरूरत न हो तो बिजली का इस्तेमाल न करें।
- अपने बगीचे में सूखी पत्तियाँ हो तो उन्हें न जलाएँ।
- फसलों के अवशेष/डंठल/ठूंठ/भूसा को न जलायें ऐसा करने से वायु प्रदूषण फैलता है एवं फेफड़ों और दिल की बीमारी आदि का खतरा पैदा होता है।

NOVEMBER नवम्बर 2019

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30									

HOLIDAY

- 2-3 नवम्बर छठ
10 नवम्बर हजरत मोहम्मद जयंती
12 नवम्बर गुरुनानक जयंती

सुरक्षित शनिवार :

- | | |
|----------------|--|
| प्रथम शनिवार | : भगदड़ संबंधी जोखिम एवं बचाव के संदर्भ में जानकारी |
| द्वितीय शनिवार | : नाव दुर्घटना एवं पानी में डूबने से बचाव के संदर्भ में जानकारी |
| तृतीय शनिवार | : भूकंप से खतरे एवं बचाव के बारे में जानकारी (मॉकड्रिल) |
| चतुर्थ शनिवार | : बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण तथा बच्चों से छेड़छाड़ के संदर्भ में जानकारी |
| पंचम शनिवार | : रस्वच्छता संबंधित जानकारी एवं उसका अभ्यास |



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)



सड़क सुरक्षा

2019 DECEMBER

बिहार में सड़क दुर्घटनाएं काफी भारी संख्या में होती हैं। नई—नई सड़कों के निर्माण एवं गाड़ियों की बढ़ती संख्या से भी दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हम सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते और थोड़ी सावधानी बरतकर एवं सजग होकर हम निम्नलिखित नियमों का पालन कर इन दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं :

क्या करें

- ✓ सड़क पार करते समय दायें, बायें देख कर ही पार करें।
- ✓ सड़क के बायें चलें एवं सड़क चिन्हों का अनुसरण करें।
- ✓ जहाँ तक संभव हो एवं जेब्रा लाइन अंकित हो, वहाँ जेब्रा लाइन से ही सड़क पार करें।
- ✓ वाहन हमेशा सड़क के बायी ओर और निर्धारित गति सीमा में चलायें।
- ✓ दुपहिया वाहन चालक और उनके पीछे बैठने वाली सवारी हमेशा हेलमेट पहन कर चलें।
- ✓ कार या अन्य चार पहिया वाहन या उससे बड़े वाहन चालक हमेशा सीट बेल्ट बांध कर गाड़ी चलायें। कार एवं अन्य चार पहिया वाहन की अगली सीट पर बैठे यात्री भी सीट बेल्ट बांध लिया करें।
- ✓ ट्रैफिक के नियमों और संकेतों का पालन करें।
- ✓ गाड़ी दाये और बायें मुड़ते समय, गाड़ी रोकते समय और गाड़ी धीमी करते समय संकेत (Indicator) अवश्य दें।

- ✓ किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार दें और उसे तुरंत किसी नजदीकी चिकित्सालय में ले जायें। नये कानून के अनुसार घायल का ईलाज सबसे पहले करें। इसमें पुलिस की प्रतीक्षा करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।
- ✓ वाहन सवार एवं पैदल यात्री एम्बुलेंस एवं अग्निशामन सेवा की गाड़ियाँ जाने के लिए रास्ता छोड़ दें।
- ✓ गाड़ी हमेशा सड़क के बायें किनारे पर खड़ी करें। साथ ही हमेशा बायीं तरफ से ही उतरे।
- ✓ गाड़ी का दरवाजा खोलते समय पीछे से आने वालों की सुरक्षा का ध्यान रखें।

- ✓ सड़क का चौराहा/तिराहा आने के पूर्व वाहन की गति धीमी कर लें एवं उसे पार करने के पूर्व दाहिने और बायें देखें एवं सावधानी बरतें।
- ✓ शांत दिमाग से एवं धैर्यपूर्वक सामान्य गति से गाड़ी चलायें।
- ✓ रेल फाटक या लाइन पार करते समय रेलवे लाईन के दोनों ओर देख कर ही ध्यान से पार करें।

क्या न करें

- ✓ यदि कोई तेज वाहन आ रहा हो तो उस समय सड़क पार न करें।
- ✓ सड़क पर चलते समय या सड़क पार करते समय कान में इयरफोन लगा कर न चलें।
- ✓ नशा न करें तथा नशे की हालत में गाड़ी कदापि न चलाएं। नशे में गाड़ी चलाना अपनी मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा होगा।
- ✓ गाड़ी चलाते समय सेल्फी न लें इससे दुर्घटना हो सकती है।



DECEMBER दिसंबर 2019

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
						1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31					

HOLIDAY

25 दिसंबर क्रिसमस

सुरक्षित शनिवार :

- | | |
|----------------|---|
| प्रथम शनिवार | : निमोनिया एवं सर्दी—खूसी /जुकाम, आँख एवं त्वचा का संक्रमण, चेचक से खतरे तथा इसके बचाव के उपाय की जानकारी |
| द्वितीय शनिवार | : हाथ धुलाई, खुले में शौच के खतरे, सुरक्षित मल का निपाटान के संदर्भ में जानकारी |
| तृतीय शनिवार | : जल एवं भूमि का संरक्षण, वायु प्रदूषण एवं पेड़—पौधों का संरक्षण के संदर्भ में जानकारी |
| चतुर्थ शनिवार | : शीतलहर से खतरे एवं इससे बचाव के उपाय के बारे में जानकारी। |



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)



पारंपरिक जल निकायों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु पट्टा घोषणा पत्र

2020

JANUARY

बिहार राज्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015–2030 की वृहत कार्ययोजना की पृष्ठभूमि में बाढ़ सुरक्षा सप्ताह (1–7 जून, 2018) के दौरान आज दिनांक 5 जून, 2018 को आयोजित आपदाओं के दौरान पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं के निर्बाध संचालन संबंधी कार्यशाला में भाग ले रहे प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों के आलोक में पारंपरिक जल निकायों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतुनिम्नांकित प्रतिबद्धताओं को अंगीकार किया जाता है। इन प्रतिबद्धताओं का राज्य सरकार के संबंधित विभाग, जिला प्रशासन, एजेंसियाँ, अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन तथा नागरिक समाज मिलकर पूरा करेंगे।

पारंपरिक जल निकायों के संरक्षण एवं प्रबंधन की समेकित कार्य-योजना निम्नानुसार है—

1. सभी हितभागियों को शामिल करते हुये राज्यव्यापी जागरूकता अभियान के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पारंपरिक जल निकायों के संरक्षण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को संरक्षण बनाया जाएगा।

(कार्यवाई दृष्टान्त एवं भूमि सुधार विभाग (नोडल विभाग) / नगर विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / ग्रामीण विकास विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / जल संसाधन विभाग / पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, राज्य / जिला प्रशासन, नगर निकाय / पंचायती राज संस्थाएँ, नागरिक समाज)

2. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी पारंपरिक जल निकाय अतिक्रमण मुक्त हों एवं उनकी जल ग्रहण क्षमता में वृद्धि हो। इसके लिए प्रशासनिक तंत्र द्वारा पारंपरिक जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त करने एवं जल ग्रहण क्षमता वृद्धि के स्थायी उपाय किए जाएंगे।

(कार्यवाई दृष्टान्त एवं भूमि सुधार विभाग (नोडल विभाग) / नगर विकास विभाग / पंचायती राज विभाग/ग्रामीण विकास विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / जल संसाधन विभाग / पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, राज्य / जिला प्रशासन, नगर निकाय / पंचायती राज संस्थाएँ, नागरिक समाज)

3. यह सुनिश्चित किया जाएगा (शहरी एवं ग्रामीण सभी क्षेत्रों में) कि

कूड़ा—कचरा पारंपरिक जल निकायों के संरक्षण में बाधा न बने एवं उनके सुरक्षित निपटान के लिए स्थायी एवं परिस्थिकीय के अनुकूल सुदृढ़ योजना तैयार कर उनका क्रियान्वयन हो।

(कार्यवाई दृ नगर विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / ग्रामीण विकास विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / जल संसाधन विभाग / पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जिला प्रशासन, नगर निकाय / पंचायती राज संस्थाएँ, नागरिक समाज)

4. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पारंपरिक जल निकायों के क्षेत्रफल एवं प्रकृति में किसी तरह का बदलाव या फेर-बदल न किया जाय और न ही उसके जल ग्रहण क्षमता में कमी आने दी जाय, इसके लिए विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत उसका जीर्णद्वारा कराया जायेगा।

(कार्यवाई — राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / नगर विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / ग्रामीण विकास विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / जल संसाधन विभाग / पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जिला प्रशासन, नगर निकाय / पंचायती राज संस्थाएँ, नागरिक समाज)

5. चयनित पारंपरिक जल निकायों का सौंदर्यकरण कर उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा तथा उसमें वर्ष भर जल संचित रहे इसके लिए तकनीकी एवं भौतिक स्तर पर प्रयास किया जायेगा।

(कार्यवाई — नगर विकास विभाग / ग्रामीण विकास विभाग / पर्यटन विभाग / पर्यावरण एवं वन संरक्षण विभाग / कृषि विभाग (बागवानी मिशन), जिला प्रशासन, नगर निकाय / पंचायती राज संस्थाएँ, नागरिक समाज)

6. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यथा संभव सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन की तकनीकी का समावेश हो एवं निजी भवनों में इसके लिए जन-मानस को भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रेरित किया जायेगा।

(कार्यवाई — सभी संबंधित विभाग / नगर विकास विभाग, पंचायती राज संस्थाएँ, नगर निकाय, राज्य / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नागरिक समाज) इन्हीं 10 प्रतिबद्धताओं के माध्यम से पारंपरिक जल निकायों के संरक्षण एवं प्रबंधन की विस्तृत एवं सूक्ष्म स्तर पर कार्य योजना का निरूपण कर लागू किया जायेगा। उपर्युक्त प्रतिबद्धताएँ मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में काम करेंगी तथा सरकार के प्रशासनिक तंत्र के द्वारा बहुहितभागी सहभागिता एवं सहयोग से पूरी की जायेंगी।

यह घोषणा पत्र दिनांक 5 जून 2018 को बाढ़ सुरक्षा सप्ताह—2018 के पंचम दिवस पर सभी संबंधित हितधारकों की सहमति से जारी किया गया।

शहरी बाढ़ की रोकथाम, शमन एवं तैयारी हेतु पट्टा घोषणा पत्र

आज दिनांक 1 जून, 2018 को शहरी बाढ़ विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों के आलोक में शहरी क्षेत्र में बाढ़ आपदा जोखिम न्यूनीकरण की समेकित कार्य-योजना को इस घोषणा पत्र के माध्यम से अंगीकार किया जाता है। इसमें जो प्रतिबद्धताएँ शामिल हैं उसे राज्य सरकार के संबंधित विभाग, नगर निकाय, जिला प्रशासन, एजेंसियाँ, अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन तथा नागरिक समाज मिलकर पूरा करेंगे। शहरी क्षेत्र में बाढ़ आपदा जोखिम न्यूनीकरण की समेकित कार्य-योजना निम्नानुसार है—

1. सभी हितभागियों को शामिल करते हुये जागरूकता अभियान के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में बाढ़ आपदा जोखिम न्यूनीकरण को संरक्षण बनाया जाएगा।

(कार्यवाई — राज्य / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संबंधित नगर निकाय / जिला प्रशासन / नागरिक समाज)

2. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शहरों के सभी जलनिकास एवं पारंपरिक जलनिकाय बाधा मुक्त हों एवं उनकी जल ग्रहण क्षमता पूर्वत बनी रहे। इसके लिए नागरिकों के व्यवहार परिवर्तन पर जोर दिया जाएगा ताकि जलनिकासों एवं पारंपरिक जलनिकायों का अतिक्रमण न हो एवं प्रशासनिक तंत्र द्वारा उनको अतिक्रमण मुक्त करने के स्थायी उपाय किए जाएंगे।

(कार्यवाई — संबंधित नगर निकाय / जिला प्रशासन / नागरिक समाज)

3. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शहरी कचरे जलनिकास में बाधा न बने, उनके सुरक्षित निपटान के लिए स्थायी एवं परिस्थिकीय के अनुकूल सुदृढ़ योजना तैयार कर उनका क्रियान्वयन अभियान मोड़ में किया

जाएगा।

(कार्यवाई — संबंधित नगर निकाय / नागरिक समाज)

4. मानसून के पूर्व मौसम पूर्वानुमान एवं पूर्व चेतावनी तंत्र निर्बाध रूप से सक्रिय रहे तथा सूचनाएँ संसमय सभी संबंधित तक पहुँचने के साथ—साथ सभी शहरी निवासियों तक सम्प्रेषण के विभिन्न माध्यमों से पहुँचती रहे।

(कार्यवाई — आपदा प्रबंधन विभाग / भारतीय मौसम विज्ञान विभाग / संबंधित नगर निकाय)

5. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शहरी बाढ़ की स्थिति में जन-सामाज्य का आवागमन बाधित न हो, इसके लिए सुगम परिवहन की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(कार्यवाई — परिवहन विभाग / संबंधित नगर निकाय / जिला प्रशासन)

6. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी संबंधित आकर्षिक सेवाएँ जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवहन, पेयजल एवं स्वच्छता, दूर संचार, बिजली, भोजन आदि सभी मौसम पूर्वानुमान के आधार पर नागरिकों को अहर्निश उपलब्ध रहें।

(कार्यवाई — राज्य सरकार के संबंधित विभाग / संबंधित नगर निकाय / जिला प्रशासन)

7. नगर निकायों के सभी स्तर पर सभी संबंधित विभागों, निकायों, अभिकरणों, केंद्रीय अभिकरणों एवं गैर-सरकारी संस्थाओं, के बीच समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से पूर्व समीक्षा एवं अनुश्रवण तंत्र स्थापित किया जायेगा एवं उनकी भूमिका सुनिश्चित की जायेगी।

एवं सहभागी प्रक्रियाओं के माध्यम से पारंपरिक जल निकायों को अक्षय व जीवंत बनाए रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत तर पर तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड तर पर कार्य योजनाएँ तैयार की जाएँगी। इन योजनाओं में पारिस्थितिक जैव-विविधता पर भी ध्यान दिया जायेगा।

(कार्यवाई — ग्रामीण विकास विभाग / नगर विकास विभाग / पंचायती राज विभाग, पंचायती राज संस्थाएँ, नगर निकाय, राज्य / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नागरिक समाज)

8. तकनीकी संस्थानों एवं विज्ञान का समुचित उपयोग कर सभी पारंपरिक जल निकायों की Geo & Tagging करायी जाएगी। जिससे उसकी पहचान GIS मानचित्र पर प्रदर्शित किया जा सके तथा जल संचयन एवं संरक्षण में तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा।

(कार्यवाई — विज्ञान एवं प्रोग्रामिकी विभाग तथा सभी संबंधित विभाग एवं निकाय)

9. पारंपरिक जल निकायों को संरक्षित एवं सुप्रबंधित करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था की जायेगी।

(कार्यवाई — सभी संबंधित विभाग एवं निकाय)

10. उपरोक्त प्रतिबद्धताओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यक समन्वय, समीक्षा एवं अनुश्रवण के लिए विभिन्न स्तरों पर बहुहितभागी समन्वय व अनुश्रवण समूह का गठन किया जायेगा।

(कार्यवाई — सभी सं

आपदाओं के दौरान पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं के निर्बाध संचालन के संबंध में पटना घोषणा पत्र

बिहार राज्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015–2030 की वृहत कार्ययोजना की पृष्ठभूमि में बाढ़ सुरक्षा सप्ताह (1–7 जून, 2018) के दौरान आज दिनांक 7 जून, 2018 को आयोजित आपदाओं के दौरान पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं के निर्बाध संचालन संबंधी कार्यशाला में भाग ले रहे प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों के आलोक में पोषण व स्वास्थ्य के क्षेत्र में निम्नांकित प्रतिबद्धताओं को अंगीकार किया जाता है। इन प्रतिबद्धताओं को राज्य सरकार के संबंधित विभाग, जिला प्रशासन, एजेंसियाँ, अंतर्राष्ट्रीय गैर–सरकारी संगठन तथा नागरिक समाज मिलकर पूरा करेंगे।

पोषण एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण की समेकित कार्य–योजना निम्नानुसार है—

1. राज्य सरकार के सभी संबंधित विभागों एवं अन्य हितभागियों को शामिल करते हुये राज्यव्यापी जागरूकता अभियान के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कुपोषण एवं एनीमिया से होने वाले खतरों एवं एनेमिक तथा कुपोषित बच्चों एवं एनीमियों पर आपदाओं के कुप्रभावों को कम करने के प्रयासों, व्यवस्थाओं, ज्ञान एवं जानकारियों को प्रचारित एवं प्रसारित कर लोगों को जागरूक बनाया जाएगा ताकि पोषण के सुविधित तरीकों को अपनाकर राज्य को कुपोषण एवं एनीमिया मुक्त बनाया जा सके।

(कार्यवाई – समाज कल्याण विभाग / स्वास्थ्य विभाग / जिला प्रशासन / राज्य / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नागरिक समाज, अंतर्राष्ट्रीय गैर–सरकारी संगठन, एजेंसियाँ एवं पंचायती राज संस्थाएँ)

2. बिहार राज्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप, 2015–2030 के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य के अंगनबाड़ी केन्द्रों एवं अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवनों को चरणबद्ध रूप से रेट्रोफिटिंग के माध्यम से आपदारोधी बनाया जायेगा एवं भविष्य में निर्मित होने वाले सभी भवन आपदारोधी तकनीक से ही बनाये जायेंगे। साथ ही चापाकल, हर घर नल जल के अंतर्गत स्थापित पेयजल संयंत्रों एवं स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत निर्मित होने वाले शौचालयों को भी यथा संभव आपदा रोधी बनाया जायेगा।

(कार्यवाई – समाज कल्याण विभाग / स्वास्थ्य विभाग / जिला प्रशासन / ग्रामीण विकास विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नागरिक समाज, अंतर्राष्ट्रीय गैर–सरकारी संगठन, एजेंसियाँ एवं पंचायती राज संस्थाएँ)

3. कुपोषित बच्चों (MAM & SAM) की पहचान कर आपदा पूर्व तैयारी के क्रम में उनकी सूची तैयार कर ली जाएगी ताकि आपदा के दौरान उन पर विशेष निगरानी रखी जा सके तथा उनको कुपोषण से होने वाले खतरों से बचाने का प्रबंध किया जा सके।

(कार्यवाई – समाज कल्याण विभाग / स्वास्थ्य विभाग / जिला प्रशासन / नागरिक समाज, अंतर्राष्ट्रीय गैर–सरकारी संगठन एवं एजेंसियाँ)

4. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक आगनबाड़ी केंद्र के पोषक क्षेत्र में आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं की सूची संभावित प्रसव तिथि के साथ तैयार की जाये एवं आपदा के दौरान उनके सुरक्षित प्रसव हेतु स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर सभी संभव प्रबंध एवं सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायें एवं उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान रखा जाय।

(कार्यवाई – समाज कल्याण विभाग / स्वास्थ्य विभाग / जिला प्रशासन / नागरिक समाज, अंतर्राष्ट्रीय गैर–सरकारी संगठन एवं एजेंसियाँ)

5. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आपदाओं के दौरान बच्चों, महिलाओं (विशेषकर धात्री माताओं), ट्रांसजेंडरों, दिव्याङ्गों, एवं वृद्धों के बीच राहत एवं बचाव कार्य प्राथमिकता के आधार पर चलाया जाये और उन्हे राहत शिविरों में आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायें।

(कार्यवाई – आपदा प्रबंधन विभाग / समाज कल्याण विभाग / स्वास्थ्य विभाग / जिला प्रशासन)

6. आपदा के दौरान राहत शिविरों में पेयजल की सुविधा तथा स्वच्छता हेतु शौचालय एवं अन्य व्यवस्थाओं के साथ अंगनबाड़ी केंद्र एवं स्वास्थ्य केंद्र / Maternity Hut स्थापित किये जायेंगे ताकि पोषण एवं स्वास्थ्य / मातृत्व सेवायें सभी संबंधित को प्राप्त होती रहें साथ ही आपदा राहत शिविरों में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए दूध एवं पौष्टिक आहार की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

(कार्यवाई – आपदा प्रबंधन विभाग / समाज कल्याण विभाग / स्वास्थ्य विभाग / जिला प्रशासन)

7. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आपदा राहत शिविरों में धात्री माताओं के लिए बच्चों को स्तनपान कराने के लिए विशेष सुरक्षित जगह की व्यवस्था की जाये जिससे नवजात बच्चों को स्तनपान कराने में सुविधा हो। साथ ही धात्री माताओं के लिए पौष्टिक आहार की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

(कार्यवाई – आपदा प्रबंधन विभाग / समाज कल्याण विभाग / स्वास्थ्य विभाग / जिला प्रशासन)

स्वास्थ्य विभाग / जिला प्रशासन)

8. बिहार राज्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015–2030 में वर्णित सुरक्षित बुनियादी सेवाओं, जैसे पोषण, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा एवं स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाने के लिए के लिए ग्राम स्तर पर कार्य योजना का निरूपण मानक संचालन प्रक्रिया के रूप में किया जायेगा।

(कार्यवाई – आपदा प्रबंधन विभाग / समाज कल्याण विभाग / स्वास्थ्य विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / शिक्षा विभाग / ग्रामीण विकास विभाग, जिला प्रशासन, राज्य / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नागरिक समाज, अंतर्राष्ट्रीय गैर–सरकारी संगठन एवं एजेंसियाँ)

9. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, शिक्षा आदि सभी सामाजिक सेवाओं की delivery में अभिसरण (convergence) स्थापित हो जिससे आपदाओं की पूर्व तैयारी, आपदाओं के दौरान राहत व बचाव के कार्यों एवं आपदाओं के पश्चात पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण कार्यों में सभी बुनियादी सेवाएँ समेकित रूप से कार्यरत रहें।

(कार्यवाई – आपदा प्रबंधन विभाग / समाज कल्याण विभाग / स्वास्थ्य विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / शिक्षा विभाग / ग्रामीण विकास विभाग, जिला प्रशासन, राज्य / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नागरिक समाज, अंतर्राष्ट्रीय गैर–सरकारी संगठन एवं एजेंसियाँ)

10. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विभागों को आपदा के पूर्व की तैयारी आपदाओं के शमन एवं प्रत्युत्तर (response) के लिए वित्तीय संसाधनों का अभाव न हो।

(कार्यवाई – राज्य सरकार के संबंधित विभाग)

इन्हीं 10 प्रतिबद्धताओं के माध्यम से पोषण व स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विशेषकर समाज के वंचित एवं कमज़ोर समुदाय वर्ग के लिए, विस्तृत एवं सूक्ष्म स्तर पर कार्य योजना का निरूपण कर लागू किया जायेगा। उपर्युक्त प्रतिबद्धताएँ मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में काम करेंगी। उपर्युक्त प्रतिबद्धताएँ मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में काम करेंगी तथा सरकार के प्रशासनिक तंत्र के द्वारा बहुहितभागी सहभागिता एवं सहयोग से पूरी की जायेंगी।

यह घोषणा पत्र दिनांक 7 जून 2018 को बाढ़ सुरक्षा सप्ताह–2018 के समाप्त दिवस पर आयोजित आपदाओं के दौरान पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं के निर्बाध संचालन विषयक कार्यशाला में उपस्थित सभी संबंधित हितधारकों की सहमति से जारी किया गया।

वायु प्रदूषण पर पटना घोषणा पत्र

साफ एवं स्वच्छ हवा बेहतर मानव जीवन की बुनियादी निर्धारक है। जलवायु एवं मौसम के परिवर्तन के कारण वातावरण में होने वाले अस्थायी परिवर्तनों का प्रभाव वायु की गुणवत्ता पर पड़ता है। तथापि जनसंख्या में वृद्धि का प्रभाव, बेशुमार आर्थिक गतिविधियों के लिये जीवाशम ईंधन पर लगातार निर्भरता एवं तकनीकी प्रगति तथा उसके निरंतरता के बीच असमानता के कारण मानव तथा पर्यावरण के बीच का संबंध कमज़ोर पड़ता जा रहा है। इन सभी के पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव वायु प्रदूषण के रूप में शहरी जन–जीवन पर परिलक्षित हो रहे हैं जो मानव स्वास्थ्य तथा राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए संकटपूर्ण स्थितियाँ पैदा कर रहे हैं।

उपर्युक्त के महेनजर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा CEECC (Centre of Environment Energy and Climate Change), आद्री के सहयोग से वायु प्रदूषण पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 09 मई 2018 को पटना में किया गया। इस कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रतिविधियों तथा विशेषज्ञों द्वारा पूर्ण विचारोपरांत बिहार में वायु प्रदूषण की स्थिति से निवेदन के लिए निम्नांकित तीन उद्देश्यों को दृष्टिपथ में रखकर काम करने की जरूरत को रेखांकित किया गया तथा तदनुसार यह पटना घोषणापत्र जारी किया गया।

1. नीतियों, योजनाओं एवं वैद्यानिक ढाँचों का निरूपण।

2. नीतियों का प्रवर्तन (Enforcement)।

3. जन–जागरूकता एवं शिक्षा।

1. नीतियों, योजनाओं एवं वैद्यानिक ढाँचों का निरूपण—

(i). पटना मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में सहभागी प्रक्रिया द्वारा समयबद्ध लक्ष्य आधारित स्वच्छ वायु कार्य योजना (Clean Air Action Plan) को अंतिम रूप देना एवं अद्यतनीकरण तथा उत्सर्जन सूची का सुदृढीकरण।